भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3682
बुधवार, 25 मार्च, 2026 (4 चैत्र 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटल सशक्तिकरण

3682 श्री उज्जवल देवराव निकमः
श्री नरहरी अमीनः
श्रीमती किरण चौधरीः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्री तेजवीर सिंहः
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री मस्तान राव यादव बीडाः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मार्च, 2026 तक उन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की संख्या कितनी है जो सफलतापूर्वक सामान्य एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर स्थानांतरित हो चुकी हैं;

(ख) डिजिटल खाई को पाटने के लिए दूरदराज और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित पैक्स को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और हार्डवेयर (बायोमेट्रिक डिवाइस, प्रिंटर) उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) अब, वास्तविक समय में आंकड़ों का समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, हाल ही में जारी किए गए 'पुश एपीआई' के माध्यम से राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) पोर्टलों के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस एकीकरण का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) मार्च, 2026 तक कॉमन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में सफलतापूर्वक स्थानांतरित होने वाली प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) की संख्या **संलग्नक-'क'** में दी गई है।

(ख) दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पैक्स को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और हार्डवेयर (बायोमीट्रिक डिवाइस, प्रिंटर) प्रदान करने के लिए किए गए उपायों तथा डिजिटल अंतराल को पाटने को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी:- भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) और नाबार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत नेट का उपयोग करके दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पैक्स तक उच्च गति की ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करना है।.

(ii) पैक्स के लिए हार्डवेयर (बायोमीट्रिक उपकरण, प्रिंटर):- अब तक 65,020 पैक्स को हार्डवेयर (कंप्यूटर सिस्टम, वेबकैम, वीपीएन डिवाइस, प्रिंटर, बायोमीट्रिक डिवाइस) प्रदान किया गया है, जिसमें अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में 3864 पैक्स शामिल हैं।

(ग) और (घ) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित किया गया है । सहकारी समितियों का डेटा, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) में एकत्र, प्रविष्ट और अद्यतन किया जाता है । इसके अलावा, स्वचालित डेटा अपडेट, सिंक्रोनाइज़ेशन और कुशल सूचना प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, एनसीडी पोर्टल को एपीआई के माध्यम से सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक(आरसीएसएस) के पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जा रहा है । दिनांक 01.03.2026 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, मिजोरम राज्यों और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा कर लिया है।

संलग्नक-'क'

पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति दिनांक 10 मार्च, 2026 तक

क्रम सं.	राज्य	अनुमोदित पैक्स	ईआरपी पर ऑनबोर्ड किए गए
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	46
2.	आंध्र प्रदेश	2,037	2,021
3.	अरुणाचल प्रदेश	139	14
4.	असम	850	580
5.	बिहार	4,495	4,481
6.	छत्तीसगढ़	2,028	2,028
7.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9	4
8.	गोवा	86	53
9.	गुजरात	6,216	5,750
10.	हरियाणा	710	695
11.	हिमाचल प्रदेश	1,885	1,472
12.	जम्मू और कश्मीर	708	537
13.	झारखंड	2,797	1,493
14.	कर्नाटक	5,894	4,555
15.	लद्दाख	10	10
16.	मध्य प्रदेश	5,455	4,536
17.	महाराष्ट्र	12,178	12,036
18.	मणिपुर	308	205
19.	मेघालय	330	23
20.	मिजोरम	99	25
21.	नागालैंड	231	114
22.	ओडिशा	4,240	0
23.	पुडुचेरी	45	44
24.	पंजाब	3,482	2,682
25.	राजस्थान	8,525	6,445
26.	सिक्किम	131	107
27.	तमिलनाडु	4,561	4,513
28.	त्रिपुरा	475	268
29.	उत्तर प्रदेश	6,257	3,076
30.	उत्तराखंड	1,216	669
31.	पश्चिम बंगाल	4,187	3,384
	कुल	**79,630**	**61,866**